भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2952

दिनांक 11.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छता सुविधा की सीमा

2952. डॉ॰ वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने लगभग उन दो तिहाई या 650 मिलियन लोगों को वर्ष 2000 एवं 2017 के बीच मूलभूत स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने में कोई प्रगति की है जिन्होंने खुले में शौच की आदत छोड़ दी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तेलंगाना राज्य में कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] का प्रारंभ दिनांक 02 अक्तूबर, 2014 को किया था जिसका लक्ष्य देश में सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय सुविधाओं की पहुँच उपलब्ध कराकर 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) भारत की स्थिति प्राप्त करना है। एसबीएम (जी) के अंतर्गत, दिनांक 05.07.2019 तक 9.63 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज जो 2.10.2014 को 38.7% था यह बढ़कर 99% से अधिक हो गया है तथा 30 राज्यों, 622 जिलों, 6212 ब्लॉकों, 2,50,658 ग्राम पंचायतों और 5,68,367 गांवों को ओडीएफ घोषित किया गया है। तेलंगाना में, एसबीएम(जी) के अंतर्गत 29,73,419 वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया है और राज्य में 05.07.2019 तक 10,993 कुल गांवों में से 8331 (75.78%) गांवों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है।